भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3831

23 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

शहरी अवसंरचना विकास निधि

3831. श्री जगन्नाथ सरकार:

श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आम बजट, 2023-24 में घोषित शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) का ब्यौर क्या है;

(ख) क्या सरकार का चल रही परियोजनाओं के लिए धन के बेहतर उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने, अवसंरचना प्रदान करने और यूआईडीएफ योजना के संचालन के लिए कम कार्बन फुटप्रिंट वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का यूआईडीएफ के संबध में राज्यों को दिशानिर्देश जारी करने का विचार है और यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यूआईडीएफ का उपयोग करते समय राज्यों को उपयुक्त सेवा शुल्क लगाने के लिए कहा जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ङ): केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉटफॉल के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास कोष (यूआईडीएफ) की स्थापना की घोषणा की गई है। इस प्रयोजनार्थ प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। धनराशि का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना तैयार करने के लिए उपयोग किया जाएगा। बजट संबंधी घोषणा के अनुसार, राज्यों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के साथ-साथ मौजूदा योजनाओं से संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि यूआईडीएफ का उपयोग करते समय उचित उपयोगकर्ता शुल्क लगाए जा सकें। इस कोष का संचालन मोटे तौर पर मौजूदा ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की तर्ज पर किया जाएगा।

******